

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(1)पंचावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2016/ 3573 जयपुर,दिनांक: 2-9-16

:: आदेश ::


निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने पर इन्हे इनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री मुख्त्यार अहमद	पं.स. धरियावद (प्रतापगढ)	30.09.2016
2	श्री शान्ति लाल जैन	पं.स. सलुम्बर (उदयपुर)	31.01.2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(राजेन्द्र शोखर भक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ, उदयपुर को क्रमशः उनके पत्र क्रमांक 1063 दिनांक 29.07.2016 एवं 412 दिनांक 21.07.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारियों का विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अतः कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस विभाग को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. विकास अधिकारी, पं.स. धरियावद (प्रतापगढ) / सलुम्बर (उदयपुर)
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव